पानी में रहते हुए मछली की ख़रीद व फ़रोख़्त

अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने पानी में मौजूद मछलियों की खरीद फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है। इस ज़माने में मछलियों के व्यापार की ऐसी शक्लें प्रचलित हो गयी हैं जिन के बारे में यह शक होता है कि वह इस मनाही के दायरे में आती हैं। इस परिप्रेक्ष में फ़िक्ह अकेडमी के नौवें सेमिनार में इस मसअले पर बहस हुई और निम्न बातें तय हुईं।

1- नदी, नाले, नहरें जो किसी ख़ास आदमी की सम्पत्ति नहीं होतीं, बल्कि सरकार उनको व्यक्यिों, समितियों, ग्राम पंचायतों को ख़ास अवधि के लिए आवंटित करती है। यह मामला मछली के शिकार करने के हक़ से संबंधित होता है, इस लिए यह मामला अक़्दे इजारा है और जाइज़ है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे तालाब को आवंटित न करे जिस से आम लोगों का हक़ मारा जाता हो, या उन्हें नुक्सान होता हो।

2- पानी में रहते हुए मछलियों को बेचना जायज़ नहीं है। अगर बेचने वाला तालाब की उन मछलियों का मालिक हो तो इस स्थिति में यह सौदा फ़ासिद होगा, और अगर बेचने वाला शरई रूप से इन मछलियों का मालिक भी नहीं और उसे पानी से निकाले बग़ैर बेचता है तो यह सौदा पूरी तरह बातिल और अमान्य होगा लेकिन किसी छोटे हौज़ से, जिसमें से मछलियों को आसानी के साथ निकाल कर ख़रीदार को दिया जा सकता हो पानी में रहते हुए मछलियों को बेचा जा सकता है।

3- निम्न तीन स्थितियों में व्यक्ति मछली का मालिक हो सकता हैः

(अ) तालाब में मछलियां स्वभाविक रूप से आ गयी हों और तालाब के मालिक ने अपने प्रयास से उन्हें रोक लिया हो।

(ब) मछलियों को पालने के लिए ही कोई तालाब बनाया गया हो।

(स) किसी व्यक्ति ने मछलियां पालने के लिए तालाब में मछली के अण्डे डाले हों।

☆☆☆

नोटः इस सम्बन्ध में मदरसा इमदादुल इस्लाम मेरठ के मौलाना शाहीन जमाली साहब का कहना है कि मछली पकडने और पालने के नवीन तरीक़ों और इंसानी ज़रूरतों की रिआयत के दृष्टिकोण से अगर किसी आदमी के द्वारा पकडी गयी मछलियां पानी के अन्दर हों और तालाब ऐसा हो कि जाल से उसे घेरा जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में पानी के अन्दर भी उन मछलियों को बेचना जाइज़ है।